



पत्रांक : सचिव/उनिलि/जी-3/740

दिनांक: 4 अगस्त, 2012

### कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की 151वीं बैठक जो दिनांक 30.07.2012 को सम्पन्न हुयी में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न प्रकरणों में जिनमें क्रय/कार्य की लागत अनुरक्षण एवं परिचालन मद के संदर्भ में रू० 1.00 करोड़ से अधिक है तथा ऐसे पूँजीगत क्रय/कार्य जिसमें लागत रू० 1.00 करोड़ से रू० 25.00 करोड़ तक है, में कारपोरेट निविदा समिति-प्रथम के निर्णय के उपरान्त निदेशक मण्डल के अनुमोदन की अनिवार्यता निम्न प्रकरणों में समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और निर्देशित किया गया है कि इन प्रकरणों की सूचना निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी :-


- (i) सीमित एकल निविदा के आधार पर भारत सरकार के उपक्रम मै० बी०एच०ई०एल०/मै० आई०एल०कोटा लि०/रेलवे/रेलवे की वर्कशाप से क्रय/कार्य कराये जाने वाले समस्त प्रकरण।
- (ii) भारत सरकार के उपक्रम यथा मै० इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, मै० भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० एवं मै० आई०बी०पी०लि० से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किये जाने वाले सभी विभिन्न प्रकार के ल्यूब्रीकेन्ट्स से सम्बन्धित प्रकरण।
- (iii) सीमित एकल निविदा के आधार पर सरकारी विभाग यथा सिचाई, पी०डब्लू०डी० आदि से कराये जाने वाले कार्य सम्बन्धी प्रकरण।
- (iv) निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सूचीबद्ध फर्मों/निदेशक मण्डल से अनुमोदित नीति के अर्न्तगत सीमित निविदा के आधार पर क्रय/कार्य हेतु समस्त प्रकरण।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना।
- 5- मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/ ईंधन/ जानपद/ पर्यावरण एवं सुरक्षा / मानव संसाधन / आर० एण्ड एम०/वाणिज्य/कारपोरेट स्ट्रेटजी/टॉम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, रिफार्म को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(एच० के० अग्रवाल)  
कम्पनी सचिव